गोदामों में अनाज और भूखे लोग

एक तस्वीर

भोजन का अधिकार अभियान, मप्र

ई–7/226, अरेरा कॉलोनी, शाहपुरा भोपाल, 0755.4252789

अनुक्रमणिका

1	ताला खोलो अभियान एक पृष्ठभूमि	भोजन का अधिकार अभियान
2	आपकी नीति के कारण सड़ा है अनाज	पी साईंनाथ
3	सडांध मारता अनाज और भूखे लोग	प्रशांत कुमार दुबे
4	सड़ती व्यवस्था में अनाज	राकेश कुमार मालवीय
5	गोदामों में जरूरत से दुगुना अनाज	आशीष महर्षि
6	अनाजः सड़ना संभव, बांटना असंभव	अमिताभ पांडेय
7	सरकार अगर मदद करे तो.....	डॉक्टर सुनील शर्मा
8	हिंदुस्तान में अनाज की बर्बादी पर एक नजर	
9	सुप्रीम कोर्ट का आदेश	

'अदालत की चिन्ता यह देखना है कि गरीब लोग, दरिद्रजन तथा समाज के कमजोर वर्ग भूख और भुखमरी से पीड़ित न हों। इसे रोकना सरकार का एक प्रमुख दायित्व है, चाहे वह केन्द्र हो या राज्य। इसे सुनिश्चित करना नीति का विषय है, जिसे सरकार पर छोड़ दिया जाए तो बेहतर। अदालत को बस इससे संतुष्ट होना चाहिए और इसे सुनिश्चित भी करना पड़ सकता है कि जो अन्न भण्डारों में खासकर भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में भरा पड़ा है, वह समुद्र में डुबोकर या चूहों द्वारा खाया जाकर बर्बाद न किया जाए।'

– सुप्रीम कोर्ट का आदेश 2001 में

खाद्य सुरक्षा का एक संदर्भ

22 से 28 सितम्बर 2010

हमारा देश इन दिनों अभूतपूर्व खाद्यान्न संकट के दौर से गुजर रहा है। हमारे यहां दो तिहाई महिलाएं खून की कमी की शिकार हैं, बच्चों की आधी आबादी कुपोषण से जूझ रही है, वहीं करीब एक तिहाई वयस्क पुरुष तथा महिलाओं का वजन अपनी उम्र की तुलना में कम है। हमारे यहां कुपोषण की दर युद्ध के शिकार कई अफ्रीकी देशों से भी कहीं ज्यादा है और वैश्विक खाद्यान्न संकट सूची (ग्लोबल हंगर इंडेक्स) में शामिल किए गए कुल 88 देशों में हमारा स्थान 66वां है। भोजन दिनों–दिन और महंगा होता जा रहा है। बीते दो वर्षों में खाद्यान्न महंगाई की दर 18 से 20 प्रतिशत तक रही है। हमारे यहां खाद्यान्न उपलब्धता में भी कमी आ गई है। वर्ष 1991 में देश के आर्थिक सुधारों की शुरुआत के समय प्रति व्यक्ति प्रति दिन अनाज की उपलब्धता 469 ग्राम थी, वर्ष 2008 तक यह गिरकर 375 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति दिन तक पहुंच गई। यानी हर व्यक्ति के रोजाना की खुराक में सौ ग्राम अनाज की कमी। इसी तरह दाल यानी अधिकांश भारतीयों के लिए प्रोटीन के एक अहम स्रोत की स्थिति तो और भी बदतर है। आजादी के समय देश में प्रति व्यक्ति दालों की उपलब्धता 70 ग्राम प्रति दिन थी, यह घटकर बीते पांच सालों में 35 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति दिन तक पहुंच गई। देश के निर्धनतम हिस्सों में बसने वाले सर्वाधिक गरीब आबादी के पेट भरने के मुख्य स्रोत मोटे अनाज की कमी तो और भी ज्यादा हुई है। मध्यप्रदेश की बात करें तो यहां 60 प्रतिशत बच्चे कुपोषित हैं उनमें से भी 12 प्रतिशत बच्चे गंभीर रुप से कुपोषित हैं । 5 वर्षों में हमारे यहां 122422 बच्चों की मौत हुई है। 70 प्रतिशत महिलायें खून की कमी का शिकार हैं।

हमारे यहां एक ओर जहां भुखमरी है, खाद्यान्न की आसमान छूती कीमतें और घटती उपलब्धता है वहीं दूसरी ओर हमारी तथाकथित लोक कल्याणकारी सरकार ने खाद्यान्न की जमाखोरी कर इस हालत को और भी विकराल रूप दे दिया है। पहली जून 2010 तक सरकार के गोदामों में भरे खाद्यान्न की मात्रा की 608.79 लाख मीट्रिक टन के रिकार्ड स्तर तक पहुंच चुकी थी। यह वर्ष 2002 के बाद का दूसरा सबसे बड़ा भंडारण और बफर के तौर पर सुरक्षित रखे जाने वाले अनाज से तीन गुना ज्यादा। वर्तमान में भारतीय खाद्य निगम तथा अन्य सरकारी एजेंसियों के पास उनकी क्षमता से अधिक अनाज एकत्रित हो चुका है। इसके चलते करीब 176.83 लाख मीट्रिक टन अनाज देश भर में खुले में पड़ा हुआ है। यह बीते कई दशकों, जबसे सरकार ने किसानों से अनाज खरीद को विकेंद्रित किया है, से सबसे बड़ी खरीद माना जा रहा है, जो खुले में पड़ा है। भारतीय खाद्य निगम के नियमों के मुताबिक खुले में पड़े अनाज को तारपोलिन से अधिक से अधिक एक वर्ष तक ही ढंक कर रखा जा सकता है। यह तीसरा मानसून है जिसमें यह अनाज भीग चुका है और अब तक की उपलब्ध सभी सरकारी रिपोर्टों के मुताबिक इसमें से एक तिहाई अनाज यानी करीब 50,000 मीट्रिक टन अनाज इंसानों के खाने लायक नहीं रहा।

देश में गरीबों और भूखों की संख्या जैसे–जैसे बढ़ती जा रही है, सरकार की दयाशीलता घटती जा रही है। केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को राशन दुकानों के लिए चावल व गेहूं मुहैया कराने की मात्रा चालू वित्त वर्ष में 19 जुलाई तक महज 496.41 लाख मीट्रिक टन थी, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में यह मात्रा 620.09 लाख मीट्रिक टन थी। ऐसे हालात में हमारी लघु अवधि की मांग है कि – खाद्यान्न गोदामों के ताले खोल दिए जाएं और गरीबों को भोजन मुहैया कराया जाए।

हम यह भी मांग करते हैं कि अनाज का मुफ्त वितरण किया जाए या फिर इसे अंत्योदय की कीमतों पर सभी भूमिहीनों, खेतिहर मजदूरों, सीमांत व लघु किसानों, ग्रामीण दस्तकारों, कारीगरों, झुग्गी–झोपड़ी निवासियों, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के दिहाड़ी मजदूरों, दलितों, आदिवासियों, अकेली महिलाओं द्वारा संचालित घरों, बेघरों, बच्चों या बेहद बीमार लोगों व विकलांगों को मुहैया कराया जाए। हमारी मांग है कि इन सभी को 35 किलो अनाज का पूरा कोटा 3 रुपए किलो की दर से दिया जाए। इसमें परिवारों की संख्या की कोई बंदिश या सीमा नहीं होनी चाहिए।
सरकार अगर अकेले यह एक कदम उठा ले तो इसका तीन गुना प्रभाव होगा –

– इससे भूखों तथा कुपोषण से जूझ रहे लोगों को तत्काल भोजन मिल सकेगा।
– इससे बाजार में महंगी हुए अनाजों की कीमतों पर लगाम कसी जा सकेगी, तथा
– इससे गोदामों को नई फसल की खरीद के लिए खाली किया जा सकेगा

किसानों को खुले बाजार में अपने कृषि उत्पाद कम कीमतों पर बेचने से हुए घाटे से बचाया जा सकेगा।
इसी तरह दीर्घावधि की हमारी मांग है कि किसी भी हालत में (जैसा कि योजना आयोग, प्रधानमंत्री और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में सलाह दे चुका है) इस समस्या का निदान लोगों को कृषि क्षेत्र से दूर कर या अपनी क्षमता के मुताबिक अनाज खरीद की मात्रा घटाकर या फिर राशन व्यवस्था में खाद्यान्न की जगह रुपए देने की व्यवस्था लागू कर नहीं किया जाना चाहिए।
हम मांग करते हैं कि एक समग्र राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून बने जिसमें निम्न व्यवस्थाएं हों –

- सरकार अनाज (मोटे अनाज सहित), दालें व दलहन की खरीद समर्थन मूल्य पर करे, इससे खाद्यान्न व दलहन के उत्पादन व उपलब्धता में बढ़ोतरी होगी।
- विकेंद्रित खरीद व्यवस्था तथा लोगों द्वारा संचालित विकेंद्रित अनाज भंडारण व्यवस्था का विस्तार किया जाए।
- कृषि के औद्योगिकीकरण तथा एग्री–बिजनेस कारपोरेशनों द्वारा खाद्यान्न बाजार पर नियंत्रण पर रोक लगाई जाए।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली व्यवस्था की कानूनी गारंटी दी जाए, इसमें यह सुनिश्चित किया जाए कि फर्जी बीपीएल सूची पूरी तरह से हट जाए व इस प्रणाली का फायदा सभी जरूरतमंदों को हो।
- प्रति व्यक्ति प्रति माह 14 किलो अनाज, डेढ़ किलो दाल तथा 800 ग्राम तेल की पोषण सुरक्षा मुहैया कराई जाए।
- उपेक्षित समूहों व बच्चों को सामाजिक सुरक्षा तथा पोषण सहायता की गारंटी दी जाए।
- वितरण व्यवस्था में आमूल–चूल परिवर्तन कर पारदर्शिता, जवाबदेही व दोि ायों को दंड देने के लिए जरूरी प्रावधान किए जाएं।
- भोजन कार्ड महिलाओं के नाम पर बने ।
- दलितों, आदिवासियों व सामाजिक तौर पर पिछड़े अन्य समूहों के लिए सकारात्मक कदम उठाए जाएं।

और अंत में, आजादी के 64 सालों बाद भी गहन भुखमरी के शिकार इस देश में सभी प्राकृतिक संसाधनों, खासकर भूमि व जल का इस्तेमाल केवल भोजन के लिए ही होना चाहिए। खाद्यान्न उत्पादन से इतर जरूरतों के लिए होने वाले भूमि, जल व वन संसाधनों के परिवर्तन को तत्काल रोकना चाहिए।

खुशी है कि माना कि अनाज आपकी नीतियों के कारण सड़ रहा है

जब जनता के अधिकार कुचले जाएं और वह इंसाफ मांगने अदालतों मे जाए तो अदालतें क्या करें प्रधानमंत्री जी ?

• पी. साईनाथ

मुझे यह जानकार खुशी हुई कि सर्वोच्च न्यायालय की बोलती बंद करते हुए आपने कहा कि भोजन, सड़ता अनाज वगैरह नीतिगत मामले हैं। हां, एक दम सही है, और अब वक्त आ गया था कि कोई यह कहें यूनाईटेड प्रोग्रसिव अलायंस जनता के सामने जो व्यर्थ प्रलाप करती आई है उसमें आपने ईमानदारी की जान फूंकी। लाखों टन सड़ते अनाज का क्या किया जाए, यह तय करना आपकी सरकार का काम है अदालतों का नहीं। अगर नीति यह कहती है कि यह भूखों के पेट में जाने की बजाय बर्बाद हो जा तो इसमें अदालत को टांग नहीं अड़ानी चाहिए। जैसा कि आप कहते हैं – नीतियां बनाना आपके अधिकारों के दायरे में आता है– देश के नेता को यह कुबूल करते देखना अच्छा लगता है– कि चाहे जैसा भी हो, बढ़ती भूख, घटता पोषण, सड़ता अनाज, अनाज रखने की जगह की कमी, यह तमाम बातें नीतियों की उपज हैं। (जहां तक मैं जानता हूं यह सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की उपज नहीं)।

किसी आम इंसान ने इसके लिए विपक्ष, मौसम या बाजार की रहस्यमय कार्यशैली को दोष देखकर इससे बचने की कोशिश की होती, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने साफ तौर पर इसकी जिम्मेदारी नीतियों पर डाली और नीतियां बाजार के मुकाबले बहुत कम अमूर्त होती हैं, सोच–समझ कर बनाई जाती हैं।

अनाज रखने की जगह

यह आखिरकार तो नीतिगत फैसला ही था कि खाद्यान्न के भंडारण के लिए सरकार गोदाम बनाए। सरकारों के पास देश भर में नये शहरों, मॉल्स और मल्टीप्लेक्सों को रियायत देने के लिए बिल्डरों और डेवलपरों को प्रोत्साहित करने के लिए पैसा है, लेकिन देश का अनाज रखने के लिए गोदाम बनाने का पैसा नहीं है।

इसकी जगह, जगहें किराए पर लेने का नया चलन है। इसमें श्रीमान यह सवाल तो खड़ा हो ही जाता है कि 2004 से 2006 के बीच, नीति के स्तर पर आपकी सरकार ने लाखों टन अनाज रख सकने वाली जगहें किराए पर लेना बंद कर देने का फैसला क्यों लिया। यह एक बहुराष्ट्रीय परामर्शदाता कम्पनी को बहुत ऊंची फीस देकर ली गई सलाह थी। दोबारा किराए पर जगह लेने का मतलब है, अब भूखों में खुशियां बांटने के लिए किराए की दर ऊंची होगी। शायद पहले सलाह देने वाली बहुराष्ट्रीय कम्पनी को अब उलटी सलाह देने के लिए भी पैसे देकर सलाह ली जा सकती है।

ऐसा इसलिए कि आपकी प्रोत्साहन देने की नीति किराया लेने वालों के समर्थन में ज्यादा है। प्रणब दा के बजट भाषण में (प्वाइंट 49) किसी जगह को किराए पर लेने के समय अवधि 5 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दी गई। वास्तव में तब से यह 10 साल तक बढ़ चुकी है। (एक द्वितीय की सलाहः किसी सरकार का उस महंगी बहुराष्ट्रीय परामर्श कम्पनी की रिपोर्ट पर कार्यवाही करने की बेवकूफ करना मौत को गले लगाने जैसा है। आंध्रप्रदेश में ही नायडू से पूछकर देखिये) सरकारी

जमीन पर खाद्यान्न के लिए गोदाम बनाने का विकल्प हमेशा मौजूद था– जैसा कि छत्तीसगढ़ अब कर रहा है। लंबे समय में यह सस्ता पड़ेगा, और भूख से लड़े की हमारी जरूरत से मुनाफा कमाने पर भी रोक भी लगेगी चूंकि यह नीतिगत मसला है, यह केवल सुझाव है, आदेश नहीं।

जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय को अपने संदेश में आपने कहा है, अनाज के सड़ने से उसका कोई लेनादेना नहीं। देश के अर्थशास्त्र के सबसे बड़े प्रोफेसर होने के नाते, मुझे यकीन है कि खुले या खराब गोदामों में सड़ रहे, या सड़े को आए अनाज का क्या करना है इस बारे में आपके पास बहुत सोची–समझी नीतियां होंगी। काश आपका पांडित्य यह नीतियां चूहों की उस बढ़ती जा रही आबादी को भी समझ पाता जो यह समझती है कि वह अनाज का जो चाहे कर सकती है (शायद हमें चूहों को अनाज से परे रहने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए) इस बीच भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने माना है कि राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार ने इस मुद्दे की कीमत चुकाई है–2004 के चुनावों में उसका सफाया हो गया। ताज्जुब की बात है कि इन तमाम नीतिगत बातों पर कितना मतैक्य है। सर्वोच्च न्यायालय तक यह बात मानता है।

श्रीमान सिंह जी, 9 साल पहले भोजन के अधिकार के इसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ कहा था (20 अगस्त, 2001) अदालत को इस बात की चिंता है कि गरीब, बेसहारा और कमजोर तबके भूख और भुखमरी से पीड़ित न हो। इसे रोकना चाहे केन्द्र हो या राज्य, सरकार की प्रमुख जिम्मेदारी है– यह कैसे सुनिश्चित किया जाए यह एक नीतिगत मसला है जिसे सरकार पर छोड़ना ही बेहतर है अदालत बस इतना चाहती है कि अनाज बर्बाद ना हो या चूहों की खुराक ना बने। अहम् मसला यह है कि अनाज भूखों तक पहुंचना चाहिए।

प्रधानमंत्री जी, दसियों हजारों की तादाद में अत्महत्या कर रहे किसान भी आपकी बात से पूरी तरह सहमत होंगे। यह जानते हैं कि अदालतों ने नहीं, नीतियों ने उन्हें अपनी जान लेने पर मजबूर किया। यही वजह है कि अपने पीछे कुछ लिखकर जाने वालों ने यह पत्र आपके वित्तमंत्री या हमारे प्यारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री (हमारी बातचीत के बीच भी टीवी पर शेर को बचाने में मसरूफ) के नाम लिखे हैं। डॉ. सिंह कभी यह खत पढ़े हैं ? आपकी पार्टी की अगुवाई में चल रही महाराष्ट्र सरकार ने इनमें से एक भी खत आप तक पहुंचाया ? उनमें, कर्ज बढ़ती लागतों और गिरती कीमतों की बात है उन सरकारों की बात है, जो उनका क्रन्दन नहीं सुनती। यह खत मरने वालों ने अपने परिवार वालों तक को नहीं लिखे। लेकिन डॉ. सिंह आपको और आपके सहयोगियों को लिखे हैं। हां वह अपने दुख में आपकी नीतियों की भूमिका समझते थे, इसलिए उन्होनें अपने खत में वह नीतियां बनाने वालों के नाम लिखे।

किसानों की यातना

2006 में आपकी ऐतिहासिक विदर्भ यात्रा के बाद वर्धा के रामकृष्ण लोंकर ने अपने सुसाइड नोट में सीधे–सीधे लिखा है – प्रधानमंत्री के दौरे, और फसल के लिए नए कर्ज की घोषणा के बाद मुझे लगा कि मै दोबारा जी सकूंगा। लेकिन, 'बैंक में मेरी कोई इज्जत नहीं थी, वहां कुछ भी नहीं बदला था। वाशिम के रामचन्द्र राउत को आपसे इस हद तक यह उम्मीद थी कि आप उसे

गंभीरता से लेंगे कि उसने ना केवल अपना सुसाइड नोट आपके राष्ट्रपति को और आपके सहयोगियों के नाम लिखा बल्कि 100 रूपए के गैर न्यायिक स्टैम्प पेपर पर उसे दर्ज भी किया। अपनी समझ से वह अपने विरोध को कानूनी रूप दे रहा था। यवतमाल में रामचन्द्र कुचंकर ने अपने सुसाइड नोट में कपास के समर्थन मूल्य को किसानों की दिक्कत का कारण बताया। यहां

तक कि वह तमाम खत जो आपके नाम नहीं लिखे गए, वह भी नीतियों की ही बातें करते हैं। जैसे कि साहेबराव का आखिरी पैगाम, जो अकोला–अमरावती इलाके में सूदखोरी का चित्रण करता है।

सबसे नीतियों को ही बातें थीं और वह सब कितने सही थे। हाल के खुलासे (देखें हिन्दू, 13 अगस्त 2010) बताते हैं कि महाराष्ट्र राज्य में आधे से भी ज्यादा कृषि ऋण ग्रामीण बैंकों द्वारा नीं, बैंकों की शहरी और महानगरीय शाखाओं द्वारा बांटे गए। इनमें से 42 फीसदी मुम्बई के बीचों–बीच जहां पैसों की खेती होती है दिये गए (बेशक शहर में बड़े पैमाने पर खेती होती है, लेकिन जरा दूसरे तरह की यह ठेकों की खेती होती है) कुछ गिने चुने कॉर्पोरेट्स ने इस कर्ज का अधिकांश हिस्सा बटोर लिया। क्या ताज्जुब था कि लोनकर, राउत और दूसरों को कर्ज मिलने में इतनी मुश्किल हुई। आपकी जुबाई में कहें तो खरबपतियों के मुकाबले बराबरी का खेल कैसे खेला जा सकता था।
आपकी सरकार का का अधिकार क्षेत्र कही जाने वाली नीतियों के यह नतीजे हैं। मानना पड़ेगा कि मैं थोड़ा घबराया हुआ हूं। कई सालों से आसमान छूती कीमतें निश्चित ही सरकार की दूरदर्शिता पूर्ण सोची समझी नीतियों का नतीजा होंगी ? जैसा कि आप टोरंटों में दुनिया के नेताओं को बता रहे थे, आपकी सरकार ने पेट्रोल को पूरी तरह से और डीजल को आंशिक तौर पर नियंत्रण से मुक्त कर दिया, मिट्टी के तेल की कीमतें भी बढ़ गई।

जब नीतियां लाखों लोगों को पहले से ही आधा पेट खुराक में भी कटौती को मजबूर कर दें, तो क्या उन पर बात करनी चाहिए ? जब वह जनता के अधिकार रौद डाले और जनता इंसाफ मांगने अदालत जाए तो आदालतें क्या करें प्रधानमंत्री जी ? आप सही फर्माते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय को नीति नहीं बनानी चाहिए। लेकिन जब उसका मुकाबला आपकी नीतियों से हो तो वह क्या करे ? जैसा कि आप मुझसे बेहतर जानते हैं– नीतियां इंसान बनाते हैं।
आपके मामले में बहुत से बड़े अर्थशास्त्री बनाते हैं जिनमें से कई ने बाल मजदूरी पर रोक लगाने की कोशिशों का विरोध किया है। उनमें से एक ने तो 'द न्यूयार्क टाईम्स' में एक लेख तक लिखा, जिसका शीर्षक था – गरीबों को बाल मजदूरी की जरूरत है। (19 नवम्बर 1994)। जिसमें उन्होंने अपने घर में एक 13 साल की नौकरी रखना कबूल किया (और जिसमें कीमतों पर काबू पाने के लिए खाद्य कीमतों को नियंत्रण मुक्त करने की भी वकालत की। शायद बाल मजदूरी की मदद के लिए भी ऐसा किया हो ?) सर्वोच्च न्यायालय तब भी क्या करे जब सरकार का 2006 में 11वीं पंचवर्षीय योजना के पहले नई बीपीएल रेखा का सर्वे पूरा करने का वायदा भी पूरा नहीं होता ? वह और कोई भी क्या करे, जब सरकार राज्यों को 1991 की जनगणना पर आधारित 2000 के गरीबी अनुमानों की बिना पर खाद्यान्न आवंटन करती है। 20 साल पुराने इन आंकड़े के कारण 7 करोड़ लोग बीपीएल अंत्योदय अब योजना का लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं।
मेरा नम्र सुझाव है कि जब तक सर्वोच्च न्यायालय इन सवालों के जवाब ढूंढे, हम आपकी नीतियों पर विचार कर लें। मैं कृतज्ञ होऊंगा अगर आप इस पत्र की प्रति आपके खाद्य और कृषि मंत्री को भिजवा दे – अगर आपको याद हो कि वह कौन है, और कहां है।

सड़ांध मारता खाद्यान्न और 'भूखे लोग'

• प्रशान्त कुमार दुबे

मैगसेसे पुरस्कार विजेता एवं वरिष्ठ पत्रकार पी. सांईनाथ कहते हैं कि हमें जब गोदामों में सड़ता हुआ अनाज दिखता है तो वह केवल सड़ा अनाज नहीं होता बल्कि एक देश का सड़ा हुआ दिल–दिमाग दिखता है। इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट भी रस्मअदायगी करता नजर आता है गोयाकि अनाज सड़ने पर वह केवल वितरित करने का आदेश देता है। लेकिन हर साल लाखों टन अनाज सड़ रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं । सरकारें लगातार उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अवमानना कर रही हैं जैसा कि हाल ही में शरद पवार ने की। अमूमन हर राज्य में अनाज सड़ रहा है लेकिन उच्चतम न्यायालय ने किसी भी सरकार के मुख्य सचिव को सम्मन क्यों नहीं जारी किया !!! यदि वर्तमान आर्थिक विकास दर से चमचमाते और जश्न मनाते भारत में यदि लोग भूखे मर रहे हैं तो यह देश पर सबसे बड़ा कलंक है। भुखमरी से मुक्ति के लिये सरकारों को चाहिये कि वे समानता आधारित जवाबदेह व्यवस्था स्थापित करें, खेती को बचाने के और बढ़ाने के जतन करें, साथ ही सरकारी खरीदी व वितरण की विकेन्द्रीकृत व्यवस्था करें।

गोदामों में सड़े अनाज बच्चे, फिर क्यूं भूखे आज। इस केन्द्रीय नारे और विकट सवाल के साथ अगस्त माह में उड़ीसा के राऊरकेला के खाद्य भंड़ार निगम के भंडारगृह के सामने भोजन एवं काम के अधिकार अभियान के कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक प्रदर्शन किया। राऊरकेला में किया गया यह प्रदर्शन देश भर के लिये यह चेतावनी है कि यदि सरकार ने गोदामों में सड़ रहे अनाज को गरीबों में नहीं बांटा तो फिर भुखमरी के हालात पैदा हो जायेंगे और लोगों को मजबूरन ताले तोड़ने होंगे। इस प्रदर्शन के एक सप्ताह के भीतर ही माननीय उच्चतम न्यायालय ने सरकार को आदेशित किया कि वह अनाज भंड़ारों को गरीबों के लिये खोल दे और अनाज वितरित कर दे। प्रतिक्रिया स्वरुप आईपीएल मंत्री (माफ करें लेकिन जो कृषि की बात ही ना करे वो कैसा कृषि मंत्री) शरद पवार ने कहा कि सरकार ऐसा कुछ नहीं करने वाली है। यानी दो हफ्तों में बनी आस, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय का आदेश भी था, टूट गई। बहस शुरु हुई और स्वतंत्रता दिवस पर लालकिले की प्राचीर से एक आश्वासन और निकला कि जल्द ही हम खाद्य सुरक्षा विधेयक लायेंगे, लेकिन आज की बात किसी ने नहीं की । यानी यदि आज व्यक्ति भूखों मर रहे हैं तो उनके लिये सरकार की कोई जवाबदेही नहीं ?

एक ऐसे कठिन समय में जबकि देश में 40 करोड़ भूखे पेट सोने को मजबूर हैं, 6 वर्ष से कम उम्र के 47 फीसदी बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, महिलाओं की आधी से अधिक आबादी खून की कमी से ग्रसित है, अर्जुन सेन गुप्ता रिपोर्ट की मानें तो देश की 77 फीसदी आबादी प्रतिदिन बीस रुपये से कम में अपना गुजारा करती है, गोदामों में अनाज सड़ रहा है। जरा सड़ते अनाज की बानगी देखें । वर्तमान में केन्द्र सरकार के विभिन्न गोदामों में 608.79 टन अनाज है जबकि कायदे से एक जुलाई तक देश के केन्द्रीय पूल में 269 लाख टन अनाज होना चाहिये । ये अनाज तो केवल गोदामों में है लेकिन अभी भी 173.83 लाख टन अनाज खुले में पड़ा है । अनाज के खुले में पड़े होने के मायने हैं कि पानी में भीगते रहना और अंततः सड़ना। केन्द्र सरकार के द्वारा खरीदी को बढ़ावा देने के कारण किसानों ने सरकार को गेहूं तो जमकर बेचा लेकिन गोदामों की व्यवस्था नहीं होने के कारण यह सड़ रहा है। पंजाब जैसे राज्यों में तो 1.36 लाख टन अनाज तीन वर्षो से खुले में पड़ा है जिसमें से पानी से भीगने के कारण 50 हजार टन गेहूं अब इंसानों के खाने लायक

नहीं बचा है। विगत दिनों प्रदेश के खंड़वा जिले में पेट की आग बुझाने वाले 173 बोरी खाद्यान्न को सड़ने के कारण आग के हवाले कर दिया गया।

हाल ही में कृषि राज्य मंत्री केवी थॉमस ने लोकसभा में स्वीकार किया कि देश में भारतीय खाद्य गोदामों में 11708 टन खाद्यान्न या तो खराब है या फिर जारी करने योग्य नहीं है । अपने देश में आज कल प्रति वर्ष 20 करोड़ टन अनाज की पैदाइश होती है। आज की जन संख्या के डेढ. गुना आबादी के लिए यह काफ़ी है। देश के हर एक मानव को प्रति वर्ष 200 किलो, यानि कि प्रतिमाह 16 किलो से ज्यादा अनाज इस में से मिल सकता है!

जरा इसका दूसरा पक्ष देखें कि 1997 के पहले राशन वयवस्था सार्वजनिक हुआ करती थी, लेकिन सरकार ने एलपीजी के बाद से ही सरकार ने रोना शुरु कर दिया कि राशन व्यवस्था खर्चीली हो रही है ओर यह सरकार की क्षमता से बाहर है। परिणामतः 1997 में लक्ष्याधारित वितरण व्यवस्था शुरु हुई । इस तरह सरकार ने यह अनाज भी छीना। अब यदि यह व्यवस्था सार्वभौमिक होती तो सभी के पास अनाज भी होता और अनाज गोदामों में सड़ता भी नहीं । 1997 में जब से लक्ष्याधारित व्यवस्था शुरू हुई, तब से राशन दुकानों से जो अनाज वितरित होता है, उसकी मात्रा आधी से कम हो गई। उदाहरण के तौर पर, 1996 में राशन दुकानों में से 6 करोड़ टन अनाज वितरित किया गया था, जबकि 2009 में 3 करोड़ टन से भी कम। सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों को मिलने वाले 35 किलो प्रति परिवार में भी कटौती की है और उसे 20 किलो पर ला छोड़ा है। फिर भी अनाज की सब्सिडी 1997 में 7000 करोड़ रुपयों से बहुत बढ़ कर 2009 में 5,000 करोड़ रुपये हो गयी। लेकिन इसका फ़ायदा आम जनता को नहीं मिलता, क्यूंकि उसको बहुत ही कम अनाज मिलता है। बहुतांश पैसा अनाज को गोदामों में रखने पर ही खर्च होता है। योजना आयोग के अनुसार, गोदामों में रखे हुए अनाज का सिर्फ़ 40 प्रतिशत् राशन दुकानों में पहुंचता है। बाकी का 60 प्रतिशत थोक व्यापारी, अनाज उद्योग के अन्य निकायों, सरकारी अधिकारियों व राशन दुकान मालिकों के सहयोग से दूसरी तरफ़ घुमाया जाता है। इस अनाज की कीमत 20 हजार करोड़ रुपयों से भी ज्यादा होती है।

इतना ही नहीं बल्कि जनता को भूखा रख कर वर्ष 2001 से 2008 के बीच सरकार ने 5 से 8 रुपये प्रति किलो की सस्ती दर से 2.8 करोड़ टन अनाज का निर्यात किया। सम्भव है कि इस बार भी सरकार अतिरिक्त स्टॉक के कारण निर्यात करे। गोदामों में सड़ रहे अनाज की पोल खोलने वाले सूचना के अधिकार के कार्यकर्ता दिल्ली के देवाशीष भट्टाचार्य कहते हैं कि यदि सरकार अनाज सड़ाती है तो वह एक सोची समझी साजिश है क्योंकि शराब माफिया को सड़ा अनाज ही चाहिये । यानी जितना अनाज सड़ेगा उतना ही शराब व्यवसाईयों को फायदा होगा। मैगसेसे पुरस्कार विजेता एवं वरिष्ठ पत्रकार पी. सांईनाथ कहते हैं कि हमें जब गोदामों में सड़ता हुआ अनाज दिखता है तो वह केवल सड़ा अनाज नहीं होता बल्कि एक देश का सड़ा हुआ दिल–दिमाग दिखता है। उन्होंने कहा कि 1997 से लेकर वर्ष 2008 तक 12 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। यह मेरा आंकड़ा नहीं बल्कि एनसीआरबी का है और यह राष्ट्रीय शर्म का विषय है । इसके पीछे के कारको में खाद्यान्न भंडारों का भरे रहना भी है।

सड़ते अनाज और सरकार के उदासीन रवैये पर भोजन के अधिकार प्रकरण में माननीय उच्चतम नयायालय के आयुक्तों के मध्यप्रदेश सलाहकार सचिन जैन कहते हैं कि अकाल को राजनीति पैदा करती है । जिन राज्यों में भूख की स्थिति गंभीर है, वहां जब लोग मरने लगेंगे तब सरकार खाद्यान्न का निर्यात करेगी, अभी तो शायद सरकार लोगों के मरने का रास्ता देख रही है।
दरअसल में केवल भण्डारण ही समस्या नहीं हैं बल्कि राज्यों द्वारा उठाव भी गड़बड़ है क्योंकि यदि उठाव सही से होते तो भण्डार समय–समय पर खाली होते जाते और नई फसल से प्राप्त अनाज

का भण्ड़ारण हो पाता। यानी यह प्रबंधन का भी विषय है । अगर सरकारें एक–एक दाने को सहेजने का जतन पहले ही कर चुकी होती तो शायद भारत में ना तो भण्डारण की समस्या ही आती और न ही भुखमरी की समस्या बढ़ती। केन्द्र और राज्य सरकारें अब एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहीं हैं लेकिन लोग भूखे मर रहे हैं ।

इस मसले पर सरकारों के प्रयास हमेशा से ही नाकाफी रहे हैं क्योंकि 1979 में सरकार ने खाद्यान्न बचाओ कार्यक्रम शुरु किया गया था, जिसमें देशभर में 50 क्षेत्रीय खाद्यान्न बैंक स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था। इनमें से प्रत्येक की क्षमता 10 लाख टन तय की गई थी। परन्तु जैसा कि हम सभी जानते हैं कि खाद्यान्न भंड़ारण और भुखमरी से निजात कभी सरकार की प्राथमिकता में नहीं रहा, नतीजतन ये खाद्यान्न भंड़ार भी बन नहीं पाये, इसके लिये हमेशा संसाधनों की कमी ही आड़े आती रही। इसके विपरीत विगत वर्ष सरकार ने पूंजीपतियों के लिये हर घंटे 1 करोड़ रुपये की माफी, हर मिनिट 95 लाख और हर सैकण्ड़ 1.5 लाख रुपये की माफी प्रत्यक्ष करों से कर रही है। इसका विस्तार यह हैं कि सरकार एक वर्ष के भीतर पूंजीपतियों को 5 लाख करोड़ रुपये की रियायत देती है लेकिन भूखे, गरीबों के लिये सरकार के पास पैसे नहीं है।

इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट भी रस्मअदायगी करता नजर आता है गोयाकि अनाज सड़ने पर वह केवल वितरित करने का आदेश देता है। लेकिन हर साल लाखों टन अनाज सड़ रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं । सरकारें लगातार उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अवमानना कर रही हैं जैसा कि हाल ही में शरद पवार ने की। अमूमन हर राज्य में अनाज सड़ रहा है लेकिन उच्चतम न्यायालय ने किसी भी सरकार के मुख्य सचिव को सम्मन क्यों नहीं जारी किया। 'भोजन के अधिकार' का ऐतिहासिक प्रकरण जो कि 2001 में दायर किया गया था, उसके मूल में ही यही था कि उस समय भी लोग भूखे मर रहे थे और गोदामों में अनाज सड़ रहा था। उच्चतम न्यायालय ने कई आदेश जारी किये लेकिन आज 10 साल बाद भी कमोबेश यही स्थिति है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त को जारी अपने आदेश में सख्त रवैया अपनाते हुए कहा है कि देश के गोदामों में पड़ा पचास हजार मीट्रिक टन अनाज अब इंसानों के खाने के लायक नहीं रहा है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि सरकार द्वारा गोदामों में लाखों मीट्रिक टन अनाज भंडारण के लिए उचित व्यवस्था भी नहीं की है।

सरकारों को चाहिये कि आज वे एक ऐसी व्यवस्था ईजाद करे ताकि अनाज का भंड़ारण हो और निश्चित समय पर लोगों को जारी करे ताकि भुखमरी पर काबू पाया जा सके। 600 लाख टन के विशाल भण्ड़ार के बाद लोग भूखे हैं। अब जनसामान्य को भी सरकारों को ललकारना होगा कि जब तक सरकारें अनाज का वितरण नहीं करतीं, अनाज गोदामों में पड़े–पड़े सड़ना नहीं चाहिये। जनसामान्य को मौका आने पर ताले भी तोड़ने के लिये तैयार रहना होगा। सरकार को चाहिये कि वह पहले सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भी मजबूत करे ताकि अन्न वितरण और भंड़ारण दोनों ही सुनिश्चित हो सके। यदि वर्तामान आर्थिक विकास दर से चमचमाते और जश्न मानाते भारत में यदि लोग भूखे मर रहे हैं तो यह देश पर सबसे बड़ा कलंक है। भुखमरी से मुक्ति के लिये सरकारों को चाहिये कि वे समानता आधारित जवाबदेह व्यवस्था स्थापित करें, खेती को बचाने के और बढ़ाने के जतन करें, साथ ही सरकारी खरीदी व वितरण की विकेन्द्रीकृत व्यवस्था करें।

" सड़ती व्यवस्था " में अनाज

• राकेश कुमार मालवीय

मनमोहन सिंह संभवतः दुनिया के पहले और अनूठे प्रधानमंत्री होंगे जिन्हें गोदामों में अनाज सड़ाना तो मंजूर है पर गरीबों में बांट देना नहीं। केवल वही नहीं उनके मंत्रीमंडल के सिपहसालार भी उनके राग में अपने सुर मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की लगातार अवमानना भी कर रहे हैं। नीति–नियम, कायदे–कानून, दिशा–निर्देश को गर छोड़ भी दें तो इंसानियत के पैमाने पर यह एक सामान्य सी बात हो सकती है कि अनाज सड़ने से अच्छा है उसे बांट दिया जाए, ताकि वह किसी जरूरतमंद के काम तो आ सके। पर क्या हमारी सरकारों को यह सामान्य सी बात भी समझ नहीं आ रही। क्या हम एक संवेदनशून्य व्यवस्था के अंग बन गए हैं। हमारी व्यवस्था राजनीतिक प्रपंचों, इच्छाशक्ति के अभाव, कर्जदारी या फिर अंतरराष्ट्रीय दबावों के आगे इतनी नतमस्तक हो गई है कि वह अपने लोककल्याणकारी शासन की अवधारणा को सिरे से खारिज करती जा रही है।

पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि गोदामों में अनाज का एक दाना भी सड़ना नहीं चाहिए और उसे गरीबों में बांट देना चाहिए। इस पर शरद पवार साहब और यूपीए सरकार का रूख था कि अनाज बांटना संभव नहीं है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फिर फटकार लगाई और कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट की सलाह नहीं आदेश था। इस फजीहत के बाद भी देश के नेतृत्व को बात समझ में नहीं आई और अब ताजातरीन घटनाक्रम में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को ही सलाह दे डाली है कि वह सरकार के कामकाज में टांग नहीं अड़ाए।

दरअसल सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय कोई नया नहीं है। पिछले कई सालों से कोर्ट इस बात से चिंतित रहा है कि देश में एक ओर लोग भूखे पेट सो रहे हैं और दूसरी ओर गोदामों मे अनाज भरा पड़ा है। अनाज भरा होना एक हद तक जायज माना जा सकता है, लेकिन जब यही अनाज बेहद असुरक्षित परिस्थितियों में सड़ने लगे, खराब होने लगे तब कोई भी व्यवस्था चुप नहीं रह सकती है। कोर्ट ने अब से दस साल पहले यानी 2001 में भी एक महत्वपूर्ण आदेश दिया था। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीएन किरपाल, जस्टिस संतोष हेगड़े और जस्टिस ब्रजेश कुमार ने अपने आदेश में कहा था कि 'अदालत की चिन्ता यह देखना है कि गरीब लोग, दरिद्रजन तथा समाज के कमजोर वर्ग भूख और भुखमरी से पीड़ित न हों। इसे रोकना सरकार का एक प्रमुख दायित्व है, चाहे वह केन्द्र हो या राज्य। इसे सुनिश्चित करना नीति का विषय है, जिसे सरकार पर छोड़ दिया जाए तो बेहतर। अदालत को बस इससे संतुष्ट होना चाहिए और इसे सुनिश्चित भी करना पड़ सकता है कि जो अन्न भण्डारों में खासकर भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में भरा पड़ा है, वह समुद्र में डुबोकर या चूहों द्वारा खाया जाकर बर्बाद न किया जाए।' प्रधानमंत्री ने उल्टे सुप्रीम कोर्ट को ही कह दिया कि सरकार को नीति निर्धारण में दखल नहीं देना चाहिए। उनका पक्ष अपनी जगह सही हो सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि सरकार अनाज की हिफाजत करने में नाकारा साबित हुई हैं। यदि गोदामों में अनाज सड़ने की स्थिति ही नहीं आती तो कोर्ट को इस कवायद की जरूरत ही नहीं पड़ती।

उधर पिछले दिनों राज्यसभा में कृषि राज्य मंत्री प्रो केवी थॉमस ने खुद स्वीकार किया था कि देश भर में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में 11 हजार 708 टन खाद्यान्न या तो खराब है या फिर

जारी करने योग्य नहीं है। इस खाद्यान्न का मूल्य लगभग पौने सात करोड़ रूपए है। यह इस साल 1 जुलाई तक की स्थिति थी। इसके बाद देश भर के कई हिस्सों में जोरदार बारिश हुई है और कई लाख टन अनाज खुले में पड़ा हुआ था।

देश में लोगों के पेट भरे हों तब तो यह सोचा जा सकता है कि मुफ्त के भाव अनाज नहीं बांटा जाए, लेकिन यदि 42 करोड़ लोग भूखे पेट सोने को मजबूर हों तब यह बात क्या हजम करने लायक है कि देश में एक भी अनाज का दाना सड़े।

गौरतलब है कि गरीबी की रेखा के नीचे देश के 6.52 करोड़ परिवार पाए गए हैं, लेकिन दूसरा पहलू यह है कि इस सूची से इससे कहीं ज्यादा यानी 7.5 करोड़ परिवार को बाहर कर दिया गया है। योजना आयोग ने दावा किया था कि देश में 28.3 प्रतिशत परिवार गरीबी की सूची के दायरे में आते हैं। पर बाद में तेंदुलकर आयोग ने कहा कि भारत में 37.5 प्रतिशत परिवार गरीब हैं। गांवों में 41.8 प्रतिशत परिवार गरीब हैं। दिलचस्प बात यह है कि तेंदुलकर समिति की स्थापना भी योजना आयोग के द्वारा ही की गई थी। और इसके बाद गरीबी के अनुमान के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भी एक जांच समिति बैठाई। डॉ एनसी सक्सेना की अध्यक्षता वाली इस समिति के मुताबिक आधा ग्रामीण भारत गरीबी के दायरे में है। देश की 76.8 प्रतिशत आबादी को पूरा पोषण नहीं मिलता और 77 प्रतिशत लोग हर दिन 20 रूपए से कम आमदनी में गुजारा करते हैं।
जब सरकार की ही अलग–अलग समितियां देश का यह चेहरा दिखा रही हैं तब अनाज के उचित वितरण की व्यवस्था से कैसे मुंह मोड़ा जा सकता है।

कुछ साल पहले तक ही देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए खाद्यान्न और अन्य सुविधाएं सभी के लिए मुहैया कराई जाती थीं। लेकिन इसके बाद गरीबी रेखा की सूची बनाकर एक नए वर्गीकरण की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। इस प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की एक अलग फेहरिस्त है, लेकिन जब नीतिगत प्रक्रिया यह मानती है कि देश में इतने लोग तय मानकों के अनुसार गरीब हैं तब उनको अनाज देने में कौन से मुश्किलात पैदा हो सकते है, जैसा कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं।

सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जो कुछ भी करना है उसे एक निर्धारित समय सीमा में करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हम बहस में उलझे रहेंगे तब तक गोदामों में कई टन अनाज फिर सड़ जाएगा, कई टन अनाज चूहे खा जाएंगे, कोर्ट फिर जवाब–तलब करने में मशगूल होगी, सरकारें फिर वहीं जवाब देंगी और देश के 42 करोड़ भूखे लोगों की संख्या घटने की बजाए फिर निरंतर बढ़ती जाएगी।

गोदामों में जरूरत से दुगुना अनाज

• आशीष महर्षि

देश के सरकारी गोदामों में आवश्यकता से दुगुना अनाज पड़ा हुआ है। जबकि देश में करोड़ों लोग दो जून की रोटी के लिए तरस रहे हैं। ऐसे में सरकार ने गोदामों में इतना अनाज क्यों खरीद कर रखा है, यह समझ से परे है। खुद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त आयुक्त कार्यालय गोदामों में रखे अनाजों को गरीबों को मुफ्त में बांटने के पक्ष में हैं। एनसी सक्सेना के प्रमुख सलाहाकार बिराज पटनायक ने दैनिक भास्कर से बातचीत में कहा कि गोदामों में पड़े लाखों टन अनाजों को उन लोगों को बांट देना चाहिए जो खाद्य सुरक्षा से वंचित हैं। अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी ने भी माना है कि देश की 77 फीसदी आबादी बीस रुपए से कम में अपना गुजारा कर रही है।

जरुरत से दुगुना है अनाज

वर्तमान में केंद्र सरकार के विभिन्न गोदामों में 608.79 लाख टन अनाज पड़ा हुआ है। जबकि कायदे से एक जुलाई तक देश केंद्रीय पूल में 269 लाख टन अनाज होना चाहिए। भोजन के अधिकार आंदोलन के कार्यकर्ता सचिन जैन कहते हैं कि जिस तरह मानसून की कमी के कारण कई राज्य सूखे की चपेट में आ गए हैं, यदि सरकार समय रहते गोदामों का गेट आम आदमी के लिए नहीं खोलती है तो देश में हाहाकार मच सकता है। जैन कहते हैं कि अकाल को राजनीति पैदा करती है। जब लोग सूखाग्रस्त राज्यों में भूख से मरना शुरू करेंगे तो सरकार अनाज उनके लिए देगी, लेकिन अभी दे देती है तो लोगों को भूख से मरने के लिए बचाया जा सकता है।

खुले में पड़ा है लाखों टन अनाज

देश में एक ओर जहां लाखों टन अनाज सड़ रहा है, वहीं अब भी 173.83 लाख टन अनाज खुले में पड़ा है। केंद्र सरकार के द्वारा खरीदी को बढ़ावा देने के कारण देश के किसानों ने जमकर सरकार को गेहूं बेचा। लेकिन गोदामों की व्यवस्था नहीं होने के कारण सरकार को खुले में गेहूं रखना पड़ा।

तीन साल से खुले में पड़ा है लाखों टन गेहूं

पंजाब जैसे राज्यों में तो खराब मैनेजमेंट के कारण 2008-09 में खरीदा गया 1.36 लाख टन गेहूं खुले में पड़ा है। इसे सिर्फ ढ़क कर रखा गया है। जबकि तीन मानसून से लगातार भीगने के कारण इसमें से करीब पचास हजार टन गेहूं खराब हो चुका है। जो कि इंसानों के खाने लायक नहीं बचा है। जबकि एफसीआई के नियमों के अनुसार ढंके हुए गेहूं को एक साल से अधिक नहीं रखा जा सकता है।

सड़े अनाज की पोल खोलने वाले दिल्ली के सूचना के अधिकार के कार्यकर्ता देवाशीष भट्टाचार्य कहते हैं कि सरकार यदि गेहूं को सड़ा रही है तो उसके पीछे एक सोची समझी साजिश है। देश के शराब माफियों को शराब बनाने के लिए सड़ा अनाज चाहिए। सरकार के पास जितना अधिक सड़ा अनाज होगा, शराब व्यवसायों को उतना अधिक फायदा होगा।

गोदामों में है जगह, फिर भी सड़ रहा है गेहूं

देश में एक ओर अनाज सड़ रहा है, तो दूसरी ओर सरकार की लापरवाही के कारण कई राज्यों में गोदाम खाली पड़े हैं। अगर उत्तर प्रदेश और बिहार के गोदामों का सही ढंग से इस्तेमाल किया जाता, तो अनाज सड़ने से बच जाता। एफसीआई के महाप्रबंधक (मूवमेंट) एमएल सहगल मानते हैं कि एक राज्य से दूसरे राज्य में गेहूं भेजा जा सकता है। लेकिन कई बार ऐसा नहीं हो पाता है। संसद में कृषि मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, राजस्थान और कर्नाटक जैसे राज्यों में गोदामों का 100 फीसदी उपयोग हुआ है। जबकि बिहार और उप्र के गोदामों में अभी भी पर्याप्त जगह है।

तीस जून तक निगम के 91 फीसदी स्थान का ही उपयोग हो पाया था। गोदामों के उपयोग के मामले में दक्षिण जोन सबसे आगे रहा। यहां के गोदामों का 100 फीसदी उपयोग हुआ है। पूर्वी, उत्तरी–पूर्व, पश्चिम और उत्तर जोन में अभी भी कुछ गोदाम खाली हैं। एफसीआई के ईस्ट जोन के गोदामों में अ□ी 25 फीसदी जगह खाली है। जबकि नॉर्थ–ईस्ट में 21 फीसदी और नॉर्थ जोन में 10 फीसदी गोदाम खाली पड़े हैं। वेस्ट जोन में 15 फीसदी जगह गोदामों में खाली पड़ी है।

केंद्र सरकार को तत्काल प्रभाव से गोदामों में पड़े अधिक अनाजों को गरीबों में बांट देना चाहिए। इसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में भी सिफारिश की है।

- **बिराज पटनायक,** प्रमुख सलाहकार, कमिश्नर ऑफिस, सुप्रीम कोर्ट

अनाज : सड़ना संभव, बांटना असंभव

• अमिताभ पाण्डेय

सरकारी गोदाम से खुले मैदान तक भारी मात्रा में खाघान्न सड़ जाने के समाचार पिछले दिनों सुर्खियों में थे। सुर्खियां भी ऐसी कि सुप्रीम कोर्ट तक हलचल मच गई। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति दलवीर भण्डारी और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा ने एक जनहित याचिका पर अपना निर्णय देते हुए कहा था कि सरकार अनाज को भूखे लोगों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था बनाए, बजाय इसके कि वह सड़ जाए। न्यायमूर्ति ने अपने संवेदनशील निर्णय के जरिये भूख और अन्न के बीच का फासला कम करने की कोशिश की। इस निर्णय की देशभर में सराहना हुई। लोगों ने इस फैसले के लिए जज साहबान का दिल से आभार माना। यह माना जा रहा था कि अब सरकार सड़ते अनाज की सुध लेगी और बदइंतजामी से सड़ रहा अनाज जरूरतमंद लोगों के बीच बांट दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फरमान पर सरकार अमल करेगी ।

हाल ही में केन्द्रीय मंत्री शरद पवार ने जो कहा है उससे यह साफ जाहिर है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना जनहित में भी जरूरी नही समझा। श्री पवार ने सीधे–सीधे कह डाला है कि गरीबों, जरूरतमंदों को मुफ्त अनाज बांटना संभव नहीं है। केन्द्रीय कृषि मंत्री ने यह बता दिया है कि चाहे, खाद्यान्न सड़ जाए, लेकिन वे इसे गरीबों को बांटना पसंद नहीं करेंगे। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने गरीबों को मुफ्त अनाज बांटने का सुझाव दिया था न कि आदेश। श्री पवार ने अदालत के फैसले का अपने अंदाज में जो अर्थ निकाला है उससे आम नागरिकों का हैरान होना उचित ही है। जिस देश की आधी आबादी को भरपेट भोजन नही मिल पाता हो वहां हजारों टन अनाज सड़ जाए, लेकिन उसको गरीबों को बांटने की व्यवस्था न हो वहां जब प्रभावशाली लोग आम आदमी के कल्याण की, गरीबो के दुख दर्द को समझने की, बात करते है तो बडा अजीब लगता है।

बहरहाल मंहगाई की मार से दबते हुए गरीब परिवार किस तरह अपना खाद्यान्न जुटाते हैं इसकी झलक किसी शहर के रेलवे स्टेशन के माल गोदाम पर जाकर जरूर देखिएगा। लगभग हर माल गोदाम के आसपास आपको बड़ी संख्या में फटेहाल कपड़े पहने महिलाएं, अधनंगे बच्चे, बेहाल बूढे रेल पटरियों के आसपास मिट्टी–गिट्टी के बीच में से अन्न का एक–एक दाना उठाते नजर आ जाएंगे। गंदगी, आवारा पशुओं के मल–मूत्र, रेलगाड़ियों, मालगाड़ियों, भारवाहक वाहनों के तेलपानी आदि से सनी मिट्टी के बीच में से अनाज का एक–एक दाना उठाकर एकत्र करना सचमुच ऐसा कठिन काम है जिसकी कल्पना किसी केन्द्रीय मंत्री अथवा बड़े अधिकारी को कभी नहीं हो सकती है ।

भूख क्या होती है ? अनाज के अभाव में तिल–तिल कर भूख से मौत कैसे होती है ? खाद्यान्न के अभाव मे बच्चे कमजोर तथा कुपोषित कैसे होते हैं ? कालाहाण्डी, पलामू से लेकर दूर–सुदूर के किसी गांव मे भूख से तड़पते हुए लोग कैसे मरते हैं ? इन सवालो का जवाब आए दिन पंचतारा होटलों का शानदार खाना खाने और आधा जूठन छोड़ देने वाले नेताओं, अधिकारियों, उघोगपतियों के पास भला क्यों मिलेगा? जब भूख, गरीबी का एहसास ही नहीं हो पाया तो अन्न और भूख के प्रति संवेदना की उम्मीद कैसे की जा सकती है ?

यहां यह बताना जरूरी होगा कि कृषि प्रधान, बेशुमार खाघान्न पैदा करने वाले हमारे भारत के दूरस्थ ,दुर्गम इलाकों से लेकर गांव, शहरों, महानगरों तक हर तरफ, हर कहीं लोग अन्न की तलाश में, रोटी की तलाशं मे भटकते देखे जाते हैं। देश की आधी आबादी को आज भी पर्याप्त

खाद्यान्न उपलब्ध नही हो पा रहा है जबकि भरपूर पैदावार से बेपरवाह सरकार के नुमाइन्दों ने अन्न को सड़ने से बचाने के प्रभावी इंतजाम नहीं किए हैं ।

पिछले दिनो संसद मे भी खाद्यान्न के सड़ने का मामला गूंजा था जिसमें सरकार ने माना था कि बड़ी मात्रा मे अनाज सड़ गया है परन्तु आश्चर्य यह कि सड़ने के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान नहीं हो पाई तो ऐसे में उनके विरूद्ध कार्यवाही कैसे की जा सकती है ? साफ बात यह है कि अनाज सड़ता रहे अथवा पड़ा रहे, किसी को इसकी चिंता नहीं हैं। भरे पेट के लोग भूखे लोगों के बारे मे सोचना ही नही चाहते है ,उनकी चिंता तो केवल मंच माइक और भाषण तथा सेमिनार तक ही सीमित होती जा रही है।

उल्लेखनीय है कि इस बार गेहूं सहित कुछ अन्य अनाज का देश भर में रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन हुआ है। इसके बावजूद गेहूं या आटे के दाम में उम्मीद के मुताबिक कमी नहीं हो पाई है जबकि आने वाले दिनों में गेहूं हो या आटा दोनों के भाव बढने के आसार साफ नजर आते हैं। ऐसे में अनाज के सड़ने पर यदि तत्काल रोक नहीं लगाई गई तो आने वाले दिनों में महंगाई डायन का बढ़ना तय ही है। ऐसे माहौल में गरीब कमजोर वर्ग ही नहीं बल्कि मध्यम वर्ग के लोगों की चिंता भी बढ़ गई हैं। यदि अनाज का सडना बंद नहीं हुआ तो इसका नुकसान कोई मंत्री, नेता, उद्योगपति या अधिकारी नहीं बल्कि आम आदमी को ही भुगतना पडेगा।

याद रहे कि कृषि मंत्री श्री पंवार केन्द्र सरकार में किसानों, आम जनता की चिन्ता करने वाले ऐसे विचित्र मंत्री है जिनके बोल भर देने से दाल, शक्कर, तेल, दूध सहित अन्य पदार्थों के दाम आसमान छूने लगते हैं। जिस तरह दिनो–दिन मंहगाई बेलगाम हो रही है उसी तरह कोई हाईकमान उनके बोलने पर लगाम लगाने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहा है। श्री पंवार अपनी कार्यप्रणाली से किसका कल्याण कर रहे हैं यह सरकार से ज्यादा समाज के लिए चर्चा और चिन्ता का विषय बन गया है। ऐसे में शायर बेकल उत्साही की चंद पक्तियां उचित ही हैं, आप भी गौर कीजिएगा

नारों पे अमल कोई जरूरी तो नहीं है
हर चीज को सरकार की जागीर बना दो
अब तुमसे गरीबी तो मिटाई नहीं जाती
बेहतर तो यही है कि गरीबों को मिटा दो।

(साभार : फर्स्ट एडीशन)

सरकार अगर मदद करे तो.....

• डॉ. सुनील शर्मा

इस समय भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में सड़ते अनाज की चर्चा है। उच्च्तम न्यायालय ने भी खाद्यान्न को सड़ने देने की बजाए गरीबों में बांटने का निर्देश दिया है। हमारे देश के सरकारी गोदामों मे अनाज सड़ना बहुत पुरानी समस्या है। हर साल लाखों टन अनाज सड़ता है। सरकार ने वर्ष 2000–2001 में भी लाखों टन सड़ा अनाज गौशालाओं के पशुओं के लिए मुफ्त में बांटा था।

भारतीय खाद्य निगम के 15 जून 2010 के आंकड़ों के अनुसार उसकी भंडारण क्षमता 129.69 लाख टन है। इस क्षमता में यदि राज्यों के और किराए पर लिए गए गोदामों की क्षमता को जोड़ दिया जाए तो कुल भंडारण क्षमता 272.72 लाख टन है, पर 1 जुलाई 2010 की स्थिति के अनुसार कुल संगहित अनाज 578 लाख टन है। इस तरह क्षमता से दुगुना अनाज संग्रहित है और खुले में पड़ा हुआ है, निश्चित तौर पर इसमें से अधिकांश अनाज सड़ेगा ही। चालू सत्र में मानसून की मेहरबानी है, जिससे खरीफ की फसल के बर्पर स्टाक की संभावना है। इस प्रकार देखा जाए तो भारतीय खाद्य निगम के गोदाम भरे रहेंगे और अतिरिक्त खाद्यान्न सड़ता रहेगा। क्योंकि इतनी जल्दी न तो गोदामों की क्ष्मता में वृद्धि की संभावना है और न ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली इतनी दुरूस्त है कि संग्रहित अनाज का त्वरित वितरण कर सके। इस संदर्भ में सरकारी स्तर पर कोई भी स्पष्ट नीति नजर नहीं आती है। ग्रामीण गोदाम निर्माण योजना का भी अब कोई अता–पता नहीं है।

वास्तव में इस समस्या का हल सिर्फ किसानों के पास है, किसान अनाज का सुरक्षित भंडारण करने में सक्षम है। सरकार को इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम बढ़ाने होंगे। अभी तक सरकारें गेहूं और धान जैसी प्रमुख खाद्यान्न फसलों का समर्थन मूल्य निर्धारित करती है, इसके अतिरिक्त बोनस भी घोषित करती है और फसल तैयार होते ही सारा तंत्र इनकी खदीदी में मस्त हो जाता है। सरकार एक निर्धारित तिथि तक ही समर्थन मूल्य के साथ बोनस पर इन खाद्यान्नों की खरीददारी करती है। इसके बाद किसान बाजार के सहारे और बाजार के भाव व्यापारियों की मंशा पर निर्भर रहते हैं। वास्तव में समर्थन मूल्य बोनस के साथ खरीद की यह अंतिम तिथि ही दुखों का कारण है। ऐसे में किसान सरकारी खरीद के दौरान ही आज बेचकर फुरसत होना चाहता है, हालांकि यह उसकी जरूरत का समय भी रहता है। इसी समय जून माह में बैंक का ऋण चुकाना रहता है वर्ना पेनाल्टी के साथ डिफाल्टर का तमगा भी लग जाता है और यही समय शादी विवाह जैसे सामाजिक कार्यक्रमों का रहता है अतः अनाज बेचना उसकी जरूरत बन जाती है, क्योंकि उसे बरसात बाद तक अनाज को रोके रखने में सिवाय नुकसान के कुछ भी नहीं मिलता है, सरकारी खरीद केन्द्रों के भ्रष्टाचार जग जाहिर है, अतः येन–केन तरीके से अपना अनाज बेच देने में ही भलाई समझता है। इस तरह भर बरसात में सरकार के पास लाखों अन अनाज एकत्र हो जाता है। अब गोदामों में बना जितना ठीक है बाकी बाहर खुले में भी भग कर सड़ेगा।

उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीदे गए गेहूं और धान के मंडी से गोदाम तक ले जाने और भंडारण करने में लगभग चार हजार रूपये प्रति टन का खर्च आता है। वास्तव में गोदामों के बाहर अनाज की बर्बादी रोकने के लिए सरकार को समर्थन कीमत पर खरीद की नीति में व्यापक संशोधन की जरूरत है। तथा सरकार किसान को इस बात के लिए राजी करे कि किसान अपना अनाज स्वयं ही सुरक्षित रखे, किसाने इसके लिए सक्षम भी है। सरकार समर्थन मूल्य

और बोनस की घोषणा करती है अच्छी बात है कि और भंडारण पर 400 रूपया क्विंटल खर्च भी करती है तो इसका आधा यानी 200 रूपया प्रति क्विंटल किसानों के हिस्से में ट्रांसफर कर दे जिससे भंडारण की समस्या से काफी हद तक छुटकारा पाया जा सकता है। इसके लिए सरकार नीति बनाए कि मई और जून में गेहूं सिर्फ समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा और अक्टूबर–नवम्बर का बोनस दिया जाएगा तो किसान अपनी जरूरत लायक गेहूं बाजार में लाएगा जिससे सरकार की जरूरत का कोटा तो निश्चित रूप से पूरा हो जाएगा और नवम्बर तक नए माल के लिए गोदामों में जगह भी खाली हो जाएगी। प्रोत्साहन मूल्य की नीति तत्काल की जगह चार माह बाद लागू की जानी चाहिए। जहां तक बैंक के कर्ज की बात है तो इसका ग्रेस पीरियड दिसंबर तक कर देना चाहिए ताकि किसान बगैर पेनाल्टी के कर्ज चुका सके।

सरकार को किसान की घोषणा कि उसके पास इतना खाद्यान्न का स्टाक है पर बैंक ऋण की व्यवस्था पर विचार करना चाहिए। इसके साथ ही पंचायत स्तर पर गोदाम निर्माण करना अपरिहार्य है जिससे पंचायत और सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों में वितरण और विक्रय के लिए अनाज का भंडारण बना रहेगा। इस कदम से सरकारी खरीद वितरण और भंडारण में होने वाले आवश्यक खर्च में भी कमी आएगी। वास्तव में अन्न का नष्ट होने देना राष्ट्रद्रोह से कम नहीं है और सरकार नीतियों में थोड़ा सा परिवर्तन कर इसे नष्ट होने से काफी हद तक बचा सकते हैं।

(साभार : पीपुल्स समाचार)

हिंदुस्तान में अनाज की बर्बादी पर एक नजर

इसी साल जनवरी में सूचना के अधिकार के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल के देव आशीष भट्टाचार्य को भारतीय खाद्य निगम से अपने सवालों के जवाब में ये जानकारी मिली:

इस साल एक जनवरी तक खराब हुआ अनाज 10,688 लाख टन
एफसीआई के पास पूरी तरह से ढ़के हुए गोदामो की क्षमता 256.64 लाख टन
इन गोदामों मे रखा गया कुल अनाज 218.35 लाख टन

उत्तरी क्षेत्र में ढ़के हुए गोदामों में अनाज रखने की कुल क्षमता 127.48 लाख टन
उत्तरी क्षेत्र में ढके हुए गोदाम में रखा गया कुल अनाज 111.22 लाख टन

दक्षिणी क्षेत्र में ढके हुए गोदामों में अनाज रखने की कुल क्षमता 57.39 लाख टन
दक्षिणी क्षत्र मे ढके हुए गोदाम में रखा गया कुल अनाज 54.24 लाख टन

पूर्वोत्तर क्षेत्र में ढके हुए गोदामों में अनाज रखने की कुल क्षमता 4.48 लाख टन
पूर्वोत्तर क्षेत्र मे ढके हुए गोदाम में रखा गया कुल अनाज 3.50 लाख टन

पूर्वी क्षेत्र में ढके हुए गोदामों में अनाज रखने की कुल क्षमता 23.99 लाख टन
पूर्वी क्षेत्र मे ढके हुए गोदाम में रखा गया कुल अनाज 17.10 लाख टन

पश्चिमी क्षेत्र में ढके हुए गोदामों में अनाज रखने की कुल क्षमता 43.30 लाख टन
पश्चिमी क्षेत्र मे ढके हुए गोदाम में रखा गया कुल अनाज 32.29 लाख टन

इन आंकड़ों को देखने के बाद यह सवाल उठना स्वाभाविक है, एक तरफ एफसीआई के गोदामों में इतनी जगह खाली पड़ी हुई है। दूसरी तरफ सही रख रखाव के अभाव में लाखों टन अनाज प्रत्येक साल खराब हो रहा है।

(साभारः सोपान स्टेप)

सुप्रीम कोर्ट का आदेश

अधिवक्ताओं को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित आदेश दिया है

इस न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में, भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय नई दिल्ली की सचिव श्रीमती अलका सिरोही ने एक विस्तृत हलफनामा दिया है, जिसकी एक कॉपी हमें विद्वान अतिरिक्त सालिसीटर जनरल के माध्यम से अदालत में सौंपी गई है। इसे रिकॉर्ड में लेकर रखा गया है। हमारे पिछले आदेश में उठाए गए सभी सवालों के स्पष्ट जवाब देने के गंभीर प्रयास यहां किए गए हैं। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील, डीलर संगठन और राज्य सरकारें इस हलफलामे पर अपना जवाब आज से एक सप्ताह के भीतर जमा कर सकते हैं।

वकील, डीलर संगठल और राज्य सरकारें इस हलफलामे पर अपला जवाब आज से एक सप्ताह के भीतर जमा कर सकते हैं।

न्यायालय के इस प्रश्ल के जवाब में कि किसलिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सुविधा गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए बंद नहीं की जानी चाहिए, एक विस्तृत जवाब दाखिल किया गया है जिसमे कहा गया है कि गरीबी रेखा से लीचे और अन्त्योदय अन्न योजना श्रेणियों के तहत आने वाली आबादी के कुल आवंटन को पूरा करले के बाद बचा हुआ खाद्यान्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गरीबी की रेखा से ऊपर की जनता के लिए बांट दिया जाता है। जब समय इससे पिछला आदेश पारित किया गया तब अदालत का ठीक ऐसा ही मानना था।

हलफनामे में इस ओर भी ध्यान दिलाया गया है कि भारत संघ राज्यों को ३५ किलोग्राम प्रति परिवार की दर से खाद्यान्न का आवंटन कर रही है। अदालत के इस सवाल के जवाब में कि भ्रष्टाचार और चोरी से बचने के लिए के लिए जन वितरण प्रणाली को प्राथमिकता के आधार पर पूरी तरह कज़्प्यूटरीत कर दिया जाना चाहिए। अदालत का यह भी मानना है कि भारत सरकार को सभी राज्यों के लिए कॉमन सॉफ्टवेयर विकसित करना चाहिए। पिछले आदेश में भी यह कहा गया है कि भारत सरकार कज़्प्यूटरीकरण के काम में विशेषज्ञ एजेंसियों जैसे यूनिक आईटेंडिफिकेशल अथॉरिटी या अन्य की सलाह ले सकती है। इसके जवाब में यह बताया गया है कि खाद्य और जल वितरण विभाग लक्षित जल वितरण प्रणाली-टीपीडीएस के कज़्प्यूटरीकरण के लिए कई तरह की पहल कर चुका है। टीपीडीएस के कप्यूटरीकरण संबंधी एक योजला को अगस्त १०

२००९ में मंजूरी दी जा चुकी है, जो प्रयोग के तौर पर चार राज्यों आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़ और दिल्ली के तीन-तीन जिलों में लागू होगी। छतीसगढ़ के एक जिले में खाद्यान्न की बोरियों की निगरानी का प्रयोग शुरू होगा। स्मार्ट कार्ड आधारि। टीपीडीएस कमोडिटी की पहुंच संबंधी एक पायलट योजला केंद्र शासि। चंडीगढ़ और हरियाणा राज्यों के लिए स्वीकृत की जा चुकी है। भारतीय खाद्य निगम-एफसीआई के लिए लेशलल इन्फोर्मेटिक्स सेंटर-एनआईसी ने इंन्फोर्मेशल सिस्टम फॉर फूड ग्रेन्स मैलेजमेंट-आईआईएफएम नाम का एह्लश्वलीकेशल विकसि। किया है। इस प्रोजेकट का मकसद एफसीआई को किसी भी समय खाद्यान्न संबंधी जालकारी मुहैया कराने के लिए ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम लागू करना है।

हलफलामे में यह भी कहा गया है कि पूरे देश में व्यापक स्तर पर ३५ राज्यों व केंद्र शासि। प्रदेशों, ६०० से अधिक जिलों, उलके उप खंड या तहसील स्तर पर गोदामों और ५ लाख से ज्यादा राशल की दुकालों में सूचला और संचार ।कलीक आधारि। उपाय करला काफी जटिल कार्य है। हलफलामे में यह भी कहा गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, राष्ट्रीय सूचना केंद्र-एनआईसी और भारत का विशिष्ट पहचाल प्राधिकरण-यूआईडीएआई व अन्य विशेषज्ञों को मिलाकर 9 अगस्त 2008 को एक टास्क फोर्स बनाई गई है, जिसके प्रमुख एनआईसी के महानिदेशक हैं और खाद्य एवं जलवितरण विभाग, एफसीआई के प्रतिनिधियों के अलावा चुनिंदा राज्यों के सचिव भी इसमें सदस्य के तौर पर शामिल हैं। इस टास्क फोर्स को जिज़्मेदारी सौंपी गई है कि मौजूदा परियोजलाओं के एकीकरण की रूपरेखा तैयार करे और यह भी सुझाए कि कैसे यूआईडीएआई का इस्तेमाल कैसे किया जाए।

भारत संघ सिद्धांत: समूची जल वितरण व्यवस्था के कज़्यूटरीकरण पर सहमत हो गया है। जिसका अभिप्राय है कि एफसीआई के गोदाम से लेकर अंतिम लाभार्थी तक कज़्यूटरीकरण के जरिए जन वितरण प्रणाली में अधिकतम पारदर्शिता सुनिश्चित करना।

इस बाबत विस्तृत रिपोर्ट जमा करने के लिए विद्वाल अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री परासल ले कुछ समय की मोहलत मांगी है। मामले की व्यापकता को देखते हुए हमने भारत सरकार से पूरी प्रक्रिया में तेजी लाने और इस अदालत में जल्द से जल्द अथवा हर हालत में आज से छह सप्ताह के भीतर एक व्यापक रिपोर्ट जमा करने का निवेदन किया है। भारत संघ जिसे भी उचित समझे किसी भी संगठन अथवा एजेंसी की मदद और सहयोग ले सकता है।

अपने हलफनामे में खाद्य सचिव ने कहा है कि पिछले तीन साल में गेहूं और चावल की रिकॉर्ड खरीद की गई है, जिसके परिणामस्वरूप केंद्रीय पूल दिनांक 01 /06/ 2010 को 604.28 लाख टन के स्तर पर पहुंच गया। पिछले तीन साल के दौरान गेहूं और चावल की ज्यादा खरीद और खरीदी गई मांगों को रखने के लिए देश में ढंके भंडारण स्थान की अपर्याप्त उपलब्धता के चलते दिनांक 01/06/2010 को 178 लाख टन गेहूं ढंके और चबूतरे (कवर्ड एंड ह्श्वलन्थ-सीएपी) भंडार में रखा हुआ था। इस प्रकार के गोदाम में जमीन से ऊपर उठे आधार पर भंडारण कर ऐसी पॉलीथील से ढंक जाता है जो खासतौर पर इस प्रयोजन के लिए बनी होती हैं। भारत सरकार को देश की खाद्य सुरक्षा सुलिश्चित करनी चाहिए। खाद्यान्न की रिकॉर्ड खरीद के मद्देनजर, जिसे भारत सरकार ठीक से संग्रहित और सुरक्षित रखने में सक्षम नहीं है, यह उचित होगा कि भारत सरकार इस समस्या के समाधान के लिए कुछ दीर्घकालिक और अल्पकालिक उपाय करे। स्थायी समाधान पर्याप्त भंडारण सुविधा के निर्माण से होगा। भार। संघ देश के हर राज्य में एफसीआई के कम से कम एक बडे गोदाम के निर्माण पर विचार कर सकता हैं और राज्य के हरेक जिले में कहीं तो हर संभाग में में एक गोदाम बनाने की संभावना तलाशी जा सकती है।

इसी प्रकार, भारत सरकार सड़ रहे खाद्यान्नों की इस समस्या से निबटले के लिए कुछ अल्प अवधि के उपाय करने पर विचार कर सकती है:

(क) गरीबी रेखा से नीचे की आबादी को खाद्य आपूर्ति की मांग में बढोत्तरी

(ख) उचित मूल्य वाली दुकानों को महीने के 30 दिनों खोलना

(ग) बहुत कम दाम पर अथवा मुज़्त में जरूरतमंद आबादी को खाद्यान्न का वितरण

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आदिवासी और सूखा पीड़ित इलाकों में खासतौर पर सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि हालांकि भारत संघ ने प्रति परिवार 35 किग्रा गेहूं/चावल का आवंटन किया है लेकिन राज्य सरकारें इसी अनुपात में इसका वितरण नहीं कर रही हैं। हम चाहते हैं कि राज्य सरकारें इस बारे में एक सप्ताह के भीतर शपथ पत्र जमा करें।

सुनवाई की अगली तारीख से पहले अदालत के समझ जितने भी आवेदन है, उन पर आज बहस पूरी की जाए। भारतीय संघ के हलफनामों का जवाब, यदि कोई हो, एक सप्ताह के भीतर जमा किया जा सकता है। जवाब दावा इसके बाद एक सप्ताह के भीतर दाखिल किया जा सकता है।

आगे के निर्देश के लिए इस याचिका को दिनांक 31 /08/2010 को सूचीबद्ध किया जाता है।

(जी.वी. रमन्ला)
कोर्ट मास्टर

(नीरू बाला विज)
कोर्ट मास्टर